नागरिक सुरक्षा नियम, 1968

सा0का0नि0 1277– नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968(1968 का 27) की धारा 3 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम– इन नियमों का संक्षिप्त नाम नागरिक सुरक्षा नियम, 1968 है।

2. रोशनियों और ध्वनियों का नियंत्रण– (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदेश द्वारा निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी :–

(क) किसी विनिर्दिष्ट प्रकार की रोशनियों के प्रयोग को प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए;

(ख) किसी प्रकाश–साधित्र को ढकने के लिए जो, चाहे वह तत्समय प्रदीप्त हो या नहीं, किसी विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर ले जाए जा रहे या उनमें लगे हों ;

(ग) यह सुनश्चित करने के लिए कि विनिर्दिष्ट परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट किए जा सकने वाले ऐसे परिसरों और स्थानों की स्थिति का उपदर्शन और ऐसे यानों तथा जलयानों की उपस्थिति की चेतावनी जो विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे प्रकाशों द्वारा, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, दी जाएगी तथा उस रीति को विहित करने के लिए जिसमें ऐसे प्रकाशों के प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त होने वाले किसी साधित्र का निर्माण, संस्थापन या उपयोग किया जाए ;

(घ) यातायात के किसी विशिष्ट वर्ग द्वारा सड़कों के प्रयोग को वहां तक प्रतिषिद्ध या विनियमित करने लिए, जहॉ तक कि इस नियम के अधीन दिए गए किसी ऐसे आदेश के, जो सड़कों को या सड़कों पर चलने वाले यानों को प्रदीप्त करने से संबंधित हों, उपबंधों के अनुपालन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न खतरों से बचने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों ;

(ड.) यथाविनिर्दिष्ट क्रियाकलापों को, जो ऐसे क्रियाकलाप हैं जिनसे धुआं, लपटें, चिंगारियों या चोंध या शोर हो, प्रतिषिद्ध या विनियमित करने के लिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन ऐसा आदेश, किया जा सकेगा कि वह किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र या परिसर को लागू हो, किसी क्षेत्र के विभिन्न भागों या उसमें के परिसरों, स्थानों, यानों या जलयानों के विभिन्न वर्गों की बाबत विभिन्न उपबंध कर सकेगा, किन्हीं भी परिसरों, स्थानों, यानों या जलयानों को आदेश के किन्हीं भी उपबंधों के प्रवर्तन से (या तो पूर्ण रूप से या सशर्त) छूट देने के लिए उपबंध कर सकेगा और उसमें ऐसे अनुषंगिक और अनुपूरक उपबंध अन्तर्विष्ट हो सकेंगे जो आदेश करने वाले प्राधिकारी को आदेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(3) यदि उप–नियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का किसी ऐसे प्रकाश, परिसर, स्थान, यान, जलयान, साधित्र, मार्ग या क्रियाकलाप की बाबत या उससे संबंधित उल्लंघन किया जाता है जिसको आदेश लागू होता हो, तो कोई भी पुलिस अधिकारी या आदेश देने वाले प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकेगा या ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जो आदेश को प्रभावी बनाने के लिए, उसकी राय में, युक्तियुक्तः आवश्यक हो और इस शक्ति के प्रयोग में उसे किसी भी भूमि पर या अन्य सम्पति पर, वह चाहे जो भी हो, पहुंच प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(4) यदि इस नियम के अधीन दिए गए किसी आदेश का किसी परिसर, स्थान, यान या जलयान की बाबत उल्लंघन किया जाता है तो, यथास्थिति, परिसर या स्थान का अधिभोगी, यान का भारसाधक व्यक्ति, या जलयान का मास्टर, किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध की जा सकने वाली किन्हीं कार्यवाहियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस नियम के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला समझा जाएगा :

परन्तु ऐसी किसी कार्यवाही में, जो इस उपनियम के आधार पर किसी व्यक्ति के विरूद्ध किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किए गए ऐसे किसी आदेश के उल्लंघन की बाबत की गई हो, अभियुक्त के लिए यह

साबित करना एक प्रतिरक्षा होगी कि अनुपालन के रूप में उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना हुआ और यह कि उसने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

3. आग लग जाने पर व्यवहार्य अध्युपाय– (1) वैरपूर्ण आक्रमण द्वारा लगाई गई आग के फैलने को निवारित करने या उसका पता चलाना सुकर बनाने और उसे बुझाने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे परिसरों के, जिनको यह आदेश लागू होता हो, स्वामियों या अधिभोगियों से ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अध्युपाय जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने की अपेक्षा करने वाले उपबंध कर सकेगी।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति किसी भी समय ऐसे किसी भी परिसर में, जिसको उप नियम (1) के अधीन दिया गया आदेश लागू होता है, यह देखने के प्रयोजन के लिए प्रविष्ट हो सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा कि क्या आदेश का अनुपालन किया गया है, और यदि उस अधिकारी या व्यक्ति को पता चलता है कि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है तो वह आदेश के उल्लंघन की बाबत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसा कदम उठा सकेगा और ऐसा बल प्रयोग कर सकेगा जो उसके आदेश को प्रभावी बनाने के लिए युक्तियुक्तः आवश्यक प्रतीत हो।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे उपनियम (1) के अधीन कोई अध्युपाय करने का आदेश दिया गया हो, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अध्युपाय करने में असफल रहा हो या उन्हें पूर्ण करना उसके लिए असम्भाव्य हो तो, आदेश के उल्लंघन की बाबत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सरकार उक्त अध्युपायों को करवा या पूर्ण करवा सकेगी और उसका खर्चा कलक्टर द्वारा परिसर के स्वामी या अधिभोगी से वसूलीय होगा।

(4) आग लग जाने की दशा में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा या करवा सकेगा और ऐसे निदेश दे सकेगा जो उसे आग के फैलाव को निवारित करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और इस प्रकार की जाने वाली कार्यवाही के अन्तर्गत किसी भूमि या सम्पति पर, वह चाहे जो भी हो, प्रवेश और किसी भूमि या सम्पति में, पर या ऊपर की किसी वस्तु को नष्ट करना या हटाना आता है।

4. छद्मावरण – (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदेश द्वारा ऐसे परिसर की बाबत जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए –

(क) परिसर के स्वामी से ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अध्युपाय करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं, या

(ख) किसी भी व्यक्ति को ऐसे अध्युपाय करने के लिए, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्राधिकृत कर सकेगी, जो उस सरकार की राय में यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ऐसे अध्युपाय हों कि वैरपूर्ण आक्रमण होने की दशा में ऐसे परिसर आसानी से नहीं पहचान लिए जाने वाले हैं या ऐसे बनाए जा सकते हैं कि उनकी आसानी से पहचान नहीं की जा सकती हो।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन कोई अध्युपाय करने का आदेश दिया गया हो, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अध्युपाय करने में असफल रहा हो या उन्हें पूर्ण करना उसके लिए असम्भाव्य हो तो आदेश के उल्लंघन की बाबत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सरकार उक्त अध्युपायों को करवा या पूर्ण करवा सकेगी और उसका खर्चा कलक्टर द्वारा ऐसे व्यक्ति से वसूलीय होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अनुदत्त अनुज्ञा के सिवाय इस नियम के अनुसरण में किए गए किसी भी कार्य को न तो हटाएगा, न परिवर्तित करेगा और न ही बिगाड़ेगा।

5. खतरनाक वस्तुओं और पदार्थो का रखा जाना —— (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार आदेश द्वारा विषाक्त, विस्फोटक या ज्वलनशील प्रकृति की ऐसी किन्हीं वस्तुओं या पदार्थो के संबंध में, जिनसे उस सरकार की राय में वैरपूर्ण आक्रमण की दशा में विशेष जोखिमों का उत्पन्न होना संभाव्य हो,

(क) ऐसे परिसर में या पर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी वस्तुओं या पदार्थो के रखे जाने को प्रतिषिद्ध करने के लिए निदेश जारी कर सकेगी ;

(ख) ऐसी वस्तुओं या पदार्थो की मात्रा विहित करने का निदेश जारी कर सकेगी जो किसी परिसर में या पर रखे जाएं ;

(ग) ऐसे किसी परिसर के , जिसमें या जिस पर ऐसी वस्तुएं या पदार्थ रखे गए हों, स्वामी या अधिभोगी से उसमें या उस पर या उसके आस–पास के व्यक्तियों या सम्पति की सुरक्षा के लिए ऐसे अध्युपाय करने की अपेक्षा करने वाले निदेश जारी कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(घ) ऐसे किन्ही आनुषंगिक या अनुपूरक विषयों के लिए निदेश जारी कर सकेगी जिनका वह सरकार, आदेश के प्रयोजनों के लिए उपबंधित किया जाना, जिसके अन्तर्गत विशिष्टतः आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से आदेश से सम्बद्ध ऐसे परिसर में प्रवेश और निरीक्षण आता है, समीचीन समझती हो।

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में ऐसा कोई व्यक्ति जिसे उपनियम (1) के अधीन कोई अध्युपाय करने का आदेश दिया गया हो, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अध्युपाय करने में असफल रहा हो या उन्हें पूर्ण करना उसके लिए असम्भाव्य हो तो, आदेश के उल्लंघन की बाबत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह सरकार उक्त अध्युपायों को करवा या पूर्ण करवा सकेगी, और उसका खर्चा कलक्टर द्वारा ऐसे परिसर के स्वामी या अधिभोगी से वसूलीय होगा।

6. क्षेत्रों का खाली कराया जाना – (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, यदि उसे किसी वास्तविक आशंकित हमले का मुकाबला करने के या ऐसे हमले में अन्तर्वलित या उसके परिणामस्वरूप होने वाले खतरों से व्यक्तियों और सम्पति के संरक्षण के या संघ के सशस्त्र बलों की किसी संक्रिया को सुकर बनाने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक प्रतीत हो, किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र की बाबत साधारण आदेश या विशेष अनुज्ञा द्वारा दी गई किन्हीं छूटों के अधीन रहते हुए आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि ——

(क) उक्त क्षेत्र से या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग पर के सभी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग स्वयं को हटा लेगा या हटा दिया जाएगा ;

(ख) उक्त क्षेत्र में के सभी व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसी अवधि के लिए, जैसी विनिर्दिष्ट की जाए, उसमें बना रहेगा ;

(ग) उक्त क्षेत्र से या उसके किसी विनिर्निष्ट भाग पर के कोई भी जीवजन्तु या सम्पति या जीवजन्तुओं या सम्पति का कोई विनिर्दिष्ट वर्ग हटा दिया जाएगा ;

(घ) विनिर्दिष्ट समय के भीतर आदेश में विनिर्दिष्ट कोई भवन या अन्य सम्पति नष्ट कर दी जाएगी या अनुपयोगी बना दी जाएगी ;

और सम्पति के प्राईवेट अधिकारों में हस्तक्षेप अन्तर्वलित करने वाला ऐसा कोई अन्य कार्य, जो पूर्वोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए आवश्यक हो, कर सकेगी।

(2) व्यक्तियों, जीवजंतुओं या सम्पति के हटाए जाने के लिए उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट हो सकेगा :–

(क) वह या वे मार्ग जिससे होकर किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र से या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग पर के सभी व्यक्तियों, जीवजन्तुओं या सम्पति के या उसके किसी वर्ग को स्वयं हटना है या उनको हटाया जाना है ;

(ख) वह या वे समय जिस तक उससे या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग से उन्हें स्वयं हटना है या उनको हटाया जाना है ;

(ग) वह या वे स्थान जहां विनिर्दिष्ट क्षेत्र से स्वयं हटने या हटाए जाने पर उनको अग्रसर होना है या ले जाया जाना है,

और ऐसे अन्य आनुषंगिक और अनुपूरक उपबंध कर सकेगा जो उक्त आदेश के प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(3) यदि उपनियम (1) के अधीन दिए गए किसी आदेश का किसी जीवजन्तु या सम्पति की बाबत उल्लंघन होता है तो ऐसे जीवजन्तु या सम्पति के भारसाधक व्यक्ति के बारे में यह समक्षा जाएगा कि उसने आदेश का उल्लंघन किया है।

(4) यदि राज्य सरकार को उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों में से किसी के लिए या किसी क्षेत्र के खाली कराए जाने को सुकर बनाने के लिए यह आवश्यक प्रतीत हो, तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा किन्हीं कैदियों या कैदियों के किसी वर्ग को, चाहे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से अथवा चाहे शर्तरहित या ऐसी शर्तो पर जो विनिर्दिष्ट की जाएं, छोड़ने का उपबन्ध कर सकेगी।

7. बेदखल व्यक्तियों को वास सुविधा–– (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, ऐसे व्यक्तियों को जिन्होंने नियम 6 के अधीन दिए गए किसी आदेश के अनुसरण में अपने घर छोड़ दिए हैं या जिनको उनके घरों से हटा दिया गया है(या जिन्होंने वास्तविक या आशंकित हमले के कारण अपने घर छोड़ दिए हैं) वास सुविधा के प्रयोजन के लिए, आम जनता द्वारा अन्नयतः धार्मिक पूजा के लिए, उपयुक्त होने वाले परिसरों से भिन्न किन्हीं परिसरों का कब्जा ले सकेगी।

(2) जब कभी उपनियम (1) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी परिसर का कब्जा ले तो उसके लिए भाटक, तत्समय प्रवृत विधि के अधीन अधिगृहीत स्थावर सम्पति से संबंधित प्रतिकर के संदाय से संबद्ध उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी भी समय, ऐसे किसी भी परिसर का कब्जा, जिसके बारे में उपनियम (1) के अधीन कार्यवाही की गई हो, उसके स्वामी या अधिभोगी को प्रत्यावर्तित कर सकेगी और आदेश दे सकेगी कि तत्पश्चात् कोई भी व्यक्ति अधिभोगी की सहमति के सिवाय उन परिसरों में न रह सकेगा।

8. बिलेट करना –– (1) इस नियम में ''समुचित सरकार'' से छावनी क्षेत्रों में के परिसरों के संबंध में केन्द्रीय सरकार और अन्य क्षेत्रों में के परिसरों के संबंध में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(2) समुचित सरकार आदेश द्वारा किसी भी परिसर के अधिभोगी से उस परिसर में, जब तक कि आदेश प्रवृत्त रहे, आवास या भोजन या दोनों के रूप में और या तो परिचारक सहित या उसके बिना, आदेश में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के लिए ऐसी वास सुविधा देने की अपेक्षा कर सकेगी जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट हो।

(3) समुचित सरकार आदेश द्वारा किसी भी परिसर के स्वामी या अधिभोगी से ऐसे परिसर में अन्तर्विष्ट वास–सुविधा के संबंध में और उसमें रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में ऐसे प्राधिकारी को, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, ऐसी जानकारी देने की अपेक्षा कर सकेगी जो विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) उपनियम (2) के अधीन दिए गए आदेश के अनुसार किसी व्यक्ति को किसी परिसर में दी गई किसी बास सुविधा के संबंध में देय कीमत वह होगी जो समुचित सरकार द्वारा अवधारित की जाए, और उस सरकार द्वारा अधिभोगी को संदत्त की जाएगी, और किन्हीं व्यक्तियों को दी गई वास सुविधा के संबंध में समुचित सरकार द्वारा इस उपनियम के अनुसरण में संदत्त किसी राशि की रकम उस व्यक्ति से उस सरकार द्वारा वसूल की जा सकेगी।

(5) समुचित सरकार आदेश द्वारा उपनियम (2) के अधीन दिए गए आदेशों के संबंध में शिकायतों की सुनवाई करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी और कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी आदेश की उस पर तामील या ऐसे किसी आदेश के प्रवर्तन से व्यथित हो ऐसे प्राधिकारी से शिकायत कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी शिकायत की सुनवाई करके ऐसे आदेश को रद्द या फेरफारित, जैसा वह ठीक समझे, कर सकेगा।

9. वैरपूर्ण आक्रमण की दशा में खतरनाक और ज्ञात जीव जन्तुओं का वध करने की शक्ति–– (1) आस–पास में वैरपूर्ण आक्रमण होने की दशा में लोक–झेम सुनिश्चित करने या लोक व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति ऐसे किसी जीवजन्तु का वध कर सकेगा जो उसे :–

(क) स्वछन्द या अनियंत्रित प्रतीत हो ;

(ख) खतरनाक, या गंभीर रूप से क्षत प्रतीत हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रदत्त जीवजन्तु का वध करने की शक्ति के अन्तर्गत :–

(क) किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जीवजन्तु का वध कारित या उपाप्त करना ;

(ख) वध करने के प्रयोजन के लिए किसी भूमि पर प्रवेश करना और किन्हीं अन्य ऐसे व्यक्तियों को प्रवेश करने के लिए प्राधिकृत करना ;

(ग) पशु–शव को हटाना और ठिकाने लगाना या उसे हटवाना और ठिकाने लगवाना :

परन्तु, सिवाय उस दशा के जब कि किसी जीवजन्तु का सार्वजनिक पहुँच के स्थान पर वध किया गया हो, पशु शव को हटाने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाएगा यदि पशु का स्वामी उपस्थित हो और आक्षेप करे।

10. जल प्रदाय बनाए रखना – (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा, जल प्रदाय के ऐसे किसी श्रोत के, जो पीने या अग्निशमन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाता हो या लाए जाने योग्य हो, स्वामी से या ऐसे किसी व्यक्ति से, जो उस पर नियंत्रण रखता हो, अपेक्षा कर सकेगी कि वह :–

(क) उसको सुव्यवस्थिति रखे, समय–समय पर उसका सिल्ट, कूड़ा करकट और अपक्षयी वनस्पति साफ करता रहे और उसको ऐसे दूषण से ऐसी रीति में बचाता रहे जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए ;

(ख) जनता के या जनता के ऐसे वर्ग के, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, उपयोग के लिए सभी युक्तियुक्त समयों पर उसे उपलब्ध कराए।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भी समय ऐसे जल प्रदाय के स्रोत का, जिसके संबंध में उपनियम (1) के अधीन कोई आदेश दिया गया हो, यह देखने के प्रयोजन के लिए निरीक्षण कर सकेगा कि क्या आदेश का अनुपालन कर दिया गया है या किया जा रहा है।

11. स्थानीय प्राधिकारियों से पूर्वावधानिक अध्युपाय करने की अपेक्षा करने की शक्ति –(1) इस नियम में ''समुचित सरकार'' से छावनी प्राधिकारियों के संबंध में और महापत्तनों के पत्तन प्राधिकारियों के संबंध में, केन्द्रीय सरकार तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के संबंध में, राज्य सरकार अभिप्रेत है।

(2) समुचित सरकार आदेश द्वारा किसी भी स्थानीय प्राधिकारी से, ऐसी अवधि के भीतर जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अध्युपाय करने की अपेक्षा कर सकेगी, जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं, और जो ऐसे अध्युपाय हैं जो उस सरकार की राय में ऐसे प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन या अधिकारिता के अन्दर के व्यक्तियों और सम्पति को क्षति या नुकसान से बचाने या वैरपूर्ण आक्रमण की दशा में प्राधिकारी की महत्वपूर्ण सेवाओं के सम्यक्तः बनाए रखने को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, और तदुपरि ––

(क) आदेश का अनुपालन स्थानीय प्राधिकारी का कर्तव्य होगा,

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की निधियां ऐसे अनुपालन के आनुषंगिक प्रभारों और व्यय के संदाय के लिए अनुप्रयोज्य होंगी, और

(ग)ऐसे अनुपालन को स्थानीय प्राधिकारी के सभी अन्य कर्तव्यों और बाध्यताओं पर पूर्विकता दी जाएगी।

(3) यदि समुचित सरकार की राय में ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी जिसको उपनियम (2) के अधीन कोई अध्युपाय करने का आदेश दिया गया हो, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अध्युपाय करने में असफल रहा हो या उसके द्वारा उनका पूर्ण किया जाना असंभाव्य हो तो आदेश के उल्लंघन की बाबत की जा सकने वाली किसी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समुचित सरकार किसी भी व्यक्ति को उक्त अध्युपायों को करने या पूर्ण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, और इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति, उक्त अध्युपायों को करने या पूर्ण करने के प्रयोजन के लिए, स्थानीय प्राधिकारी या उसके अधिकारियों की सभी शक्तियों या उनमें से किसी का प्रयोग कर सकेगा, स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों या सेवकों को ऐसे निर्देश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे और किसी भी बाहरी अभिकर्त्ता को नियोजित कर सकेगा, और उसके द्वारा उपगत सभी प्रभार और व्यय ऐसी सीमा तक के सिवाय, यदि कोई हो, जिसका संदाय समुचित सरकार उसकी संचित निधि में से करने का निदेश दे, स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से संदत्त किए जाएंगे।

(4) समुचित सरकार द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, ––

(क) स्थानीय प्राधिकारी या उसके किन्हीं अधिकारियों या सेवकों को आदेश द्वारा ऐसी कार्यवाही करने का निदेश दे सकेगा जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए तथा ऐसी कार्यवाही जो उसकी राय में स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन या उसकी अधिकारिता के भीतर आने वाले व्यक्तियों और सम्पति के किसी वास्तविक या आशंकित वैरपूर्ण आक्रमण में अन्तर्वलित या उसके परिणामिक खतरे से संरझण के लिए आवश्यक हो ;

(ख) स्थानीय प्राधिकारी की या उसके कब्जे में की किसी सम्पति को पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी रीति से जैसी वह ठीक समझे, जब्त और प्रयोग कर सकेगा या प्रयोग करवा सकेगा और स्थानीय प्राधिकारी और उसके अधिकारियों तथा सेवकों का यह कर्तव्य होगा कि वे इस नियम के अधीन किए गए

किसी आदेश का तत्काल अनुपालन करें और स्थानीय प्राधिकारी की निधियों का उपयोजन ऐसे अनुपालन से अनुषंगिक किन्हीं प्रभारों और व्ययों के संदाय के लिए किया जाएगा।

(5) समुचित सरकार, यदि वह ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, आदेश द्वारा किसी भी व्यक्ति को स्थानीय प्राधिकारी से उसकी सेवाओं में से ऐसी सेवाओं को, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, अपने हाथ में ले लेने और उनका ऐसे निदेशों के अनुसरण में, जो समय–समय पर उस सरकार द्वारा जारी किए जाएं, प्रशासन करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, और इस प्रकार प्राधिकृत कोई व्यक्ति, उक्त सेवाओं का प्रशासन करने के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारी की किसी समिति या अधिकारी की सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा, स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों या सेवकों को ऐसे निदेश दे सकेगा जैसे वह ठीक समझे, और किसी भी बाहरी अभिकर्ता को नियोजित कर सकेगा, और उसके द्वारा उपगत सभी प्रभार और व्यय ऐसी सीमा तक के सिवाय, यदि कोई हो, जिसका संदाय समुचित सरकार उसकी संचित निधि में से करने का निदेश दे, स्थानीय प्राधिकारी की निधियों में से संदत्त किए जाएंगे।

12. अग्नि आदि से महापत्तनों और उनके पर्यावरणों का रक्षण –– (1) केन्द्रीय सरकार किसी महापत्तन और ऐसे पत्तन के पार्श्वस्थ या उसके आस–पास के किसी नगर, नगरी या अन्य स्थान की अग्नि, विस्फोट या किसी अन्य दुर्घटना से संरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से आदेश द्वारा या अधिसूचित आदेश द्वारा ऐसे किसी पत्तन के पत्तन प्राधिकारी द्वारा ऐसे नगर, नगरी या स्थान पर अधिकारिता रखने वाले किसी स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे पत्तन का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति, या ऐसे पत्तन, नगर, नगरी या स्थान में स्थित किन्हीं परिसरों के स्वामियों या अधिभोगियों से पूर्वावधानी अध्युपाय(जिनके अन्तर्गत पत्तन और संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों की अग्निशमन, जल प्रदाय और पत्तन की सफाई सेवाओं के समन्वय के लिए इन्तजाम आते हैं) करने का उपबंध कर सकेगी और तदुपरि :–

(क) ऐसे पत्तन प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारियों और सभी सम्पृक्त व्यक्तियों का, जिनके अन्तर्गत लोक सेवक संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों और ऐसे पत्तन प्राधिकारी तथा स्थानीय प्राधिकारियों के अधिकारी और सेवक आते हैं, कर्तव्य होगा कि वे आदेश का अनुपालन करें या उसके अनुरूप कार्य करें ;

(ख) पत्तन प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारियों की निधियों का उपयोजन ऐसे अनुपालनों से आनषंगिक प्रभारों और व्ययों के संदाय के लिए किया जाएगा ;

(ग) ऐसे अनुपालन को पत्तन प्राधिकारी या स्थानीय प्राधिकारियों के सभी अन्य कर्तव्यों और बाध्यताओं पर पूर्विकता दी जाएगी।

(2) यदि किसी महापत्तन में या ऐसे पत्तन के पार्श्वस्थ या उसके आस–पास के किसी नगर, नगरी या अन्य स्थान में कोई अग्नि, विस्फोट या अन्य दुर्घटना हो जाए तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त नियुक्त प्राधिकारी के व्ययनाधीन निम्नलिखित में से ऐसी वस्तुएं रख दी जाएंगी जैसी कि इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी अपेक्षा करे ––

(क) ऐसे पत्तन के पत्तन प्राधिकारी की और किसी ऐसे नगर, नगरी या स्थान पर अधिकारिता रखने वाले स्थानीय प्राधिकारी की अग्निशामक, जल प्रदाय और सफाई सम्बंधी सेवाएं जिनमें ऐसी सेवाओं के प्रवर्तन में नियोजित कार्मिक भी आते हैं ;

(ख) ऐसे किसी पत्तन, नगर, नगरी या स्थान में के परिसरों के किसी स्वामी या अधिभोगी द्वारा अनुरक्षित अग्निशामक कार्मिक और साधित्र,

और ऐसे पत्तन प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी, स्वामी या अधिभोगी और कार्मिक उक्त प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों का अनुपालन करेंगे।

(3) इस नियम या तद्धीन किए या दिए गए किसी आदेश में की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह यथापूर्वोक्त किसी ऐसे पत्तन, नगर, नगरी या स्थान में आग बुझाने और उसमें आग लग जाने की दशा में जीवन और सम्पति की संरक्षा के बारे में तत्समय प्रवृत किन्हीं अन्य विधियों द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वहन पर प्रभाव डालती है।

13. कारखानों और खानों का संरक्षण —— केन्द्रीय सरकार आदेश द्वारा किसी खान के स्वामी, प्रबंधक या अभिकर्त्ता से अथवा किसी कारखाने के अधिभोगी या प्रबंधक से अपेक्षा कर सकेगी कि वह–

(क) ऐसी अवधि के भीतर, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, एक लिखित रिपोर्ट दे जिसमें इस बात का कथन होगा कि आग लग जाने की दशा में, चाहे वह दुर्घटना द्वारा कारित हुई हो या अन्यथा, खान या कारखाने के सम्यक रूप से कृत्य करने को और उसमें और उसके आस–पास के व्यक्तियों और सम्पति की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उसने क्या अध्युपाय किए हैं या कर रहा है या करने की प्रस्थापना कर रहा है ;

(ख) ऐसी अवधि के अन्दर जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अध्युपाय करेगा जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाए जो ऐसे अध्युपाय हों जिनका किया जाना केन्द्रीय सरकार की राय में पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो।

14. वैरपूर्ण आक्रमण के विरूद्ध पूर्वावधानी–– (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार स्थल, समुद्र या वायु द्वारा किसी आशंकित हमले में अन्तर्वलित खतरों के विरूद्ध साधारण जनता या उसके किसी सदस्य के संरक्षण की दृष्टि से या ऐसे आपात में की जाने वाली कार्यवाही से आम जनता या उसके किसी सदस्य को परिचित कराने की दृष्टि से, आदेश द्वारा ऐसे अवसरों पर, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, किसी व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को विनिर्दिष्ट करेगी।

(2) उपनियम (1) के अधीन किया गया आदेश यह उपबंधित पर सकेगा कि किसी विनिर्दिष्ट सूचना या सिगनल के दिए जाने पर, कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए और ऐसी परिस्थितियों में, जैसी विनिर्दिष्ट की जाएं, ऐसे किसी परिसर या सम्पत्ति में या पर जो विनिर्दिष्ट की जाए या जो इस नियम के प्रयोजन के लिए किसी विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा नियत की जाए, इस बात के होते हुए भी प्रवेश कर सकेगा और उस पर बना रह सकेगा, कि ऐसा परिसर या सम्पति जनता के लिए अन्यथा खुली नहीं है।

(3) कोई भी व्यक्ति :–

(क) इस नियम के अधीन किए गए किसी आदेश के अनुसरण में किसी परिसर या सम्पत्ति में प्रवेश करने वाले या प्रवेश चाहने वाले किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर बाधित नहीं करेगा या

(ख) ऐसे किसी आदेश के आधार पर उस परिसर या सम्पत्ति में बने रहने के हकदार किसी व्यक्ति को बेदखल नहीं करेगा।

15. आग का पता चलाने के लिए परिसर की निगरानी ––(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, निम्नलिखित के लिए उपबंध कर सकेगी :–

(क) ऐसे किसी परिसर के, जिसको आदेश लागू होता है, अधिभोगी से यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से, कि वैरपूर्ण आक्रमण के परिणामस्वरूप परिसर में लगने वाली आग का तुरन्त पता लगा लिया जाएगा और उसे तुरन्त बुझा दिया जाएगा आदेश में यथा विनिर्दिष्ट इन्तजाम करने और उनकी क्रियान्वित करने की अपेक्षा करने के लिए ;

(ख) विभिन्न परिसरों के अधिभोगियों से संयुक्ततः उन सभी परिसरों के लिए पूर्वोक्त रूप में ऐसे इन्तजाम करने और उनको क्रियान्वित करने की अपेक्षा करने के लिए और विशिष्टतः यह अपेक्षा करने के लिए कि वे विनिर्दिष्ट परिसरों पर बारी–बारी से कर्तव्य करेंगे और ऐसे अग्नि निरोधक कर्तव्य करेंगे जो उनको उन इन्तजामों के अधीन आवंटित किए जाएं ;

(ग) किसी प्राधिकारी को, ऐसी परिस्थितियों में, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, पूर्वोक्त रूप में ऐसे इंतजाम करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए जिनके अन्तर्गत ऐसे परिसरों के बारे में, जिनको आदेश लागू होता हो, संयुक्ततः इन्तजाम करना आता है, और जहां वह ऐसे इन्तजाम क्रियान्वित करे वहां सम्पृक्त अधिभोगियों से ऐसा करने के व्यय वसूल करने हेतु सशक्त करने के लिए।

स्पष्टीकरण –– इस उपनियम के खण्ड (ख) में '' अग्नि निरोधक कर्तव्य '' से अग्नि बम के गिरने पर निगरानी रखने वाले कर्तव्य, ऐसे बम से लगी आग को बुझाने के लिए तत्काल साध्य कदमों का उठाया जाना और ऐसी सहायता की मांग करना जो आवश्यक हो, अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत पूर्वोक्त जैसे किसी भी कर्तव्य के निष्पादन के लिए तैयार रहने का कर्तव्य आता है।

(2) उपनियम (1) के अधीन आदेश ऐसे व्यक्ति को जिससे तद्द्वारा ऐसे परिसर पर जिसको आदेश लागू होता हो, उपस्थित रहने की अपेक्षा की गई हो, उन परिसरों तक आदेश के अनुपालन के प्रयोजन के लिए पहुॅच प्राप्त करने का इस बात के होते हुए भी हकदार बनाएगा कि परिसर अन्यथा आम जनता के लिए खुला नहीं होगा, और ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में, जो इस प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति की उस तक पहुॅच को बाधित करता है, यह समझा जाएगा कि वह इस आदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करता है।

(3) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी या कोई अन्य व्यक्ति किसी भी समय ऐसे किसी परिसर में जिसको उपनियम (1) के अधीन किया गया कोई आदेश लागू होता है यह देखने के प्रयोजन से प्रवेश कर सकेगा और उसका निरीक्षण कर सकेगा कि क्या आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

16. परिसरों में सुरक्षा अध्युपाय – केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, आदेश द्वारा ऐसे परिसरों के बारे में जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं,––

(क) परिसर के अधिभोगी या स्वामी से ऐसे अध्युपाय, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, करने की अपेक्षा कर सकेगी, या

(ख) किसी भी व्यक्ति को ऐसे अध्युपाय जो इस प्रकार विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जो ऐसे अध्युपाय हों जो उस सरकार की राय में वैरपूर्ण आक्रमण की दशा में ऐसे परिसर में या ऐसे परिसर के आस–पास में के व्यक्तियों को पहुॅचने वाले खतरे का न्यूनन करने के लिए आवश्यक हों, करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।

17. रोगों के फैलाव का निवारण –– (1) यदि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय हो कि नागरिक सुरक्षा सुनश्चित करने के लिए किसी भी क्षेत्र में मानव या पशु रोग के फैलाव के निवारण या सर्व

साधारण के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए यह आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा , उस क्षेत्र में निम्नलिखित अध्युपायों में से कोई या सभी करने के लिए उपबन्ध कर सकेगी, अर्थात् :–

(i) चेचक के विरूद्ध अनिवार्य टीके लगाना ;

(ii) हैजा, प्लेग (महामारी), मोतीझरा या अन्य संक्रामक या सांसर्गिक रोगों के विरूद्ध जहॉ कहीं उनका फैलना आशंकित हो, अनिवार्य टीके लगाना ;

(iii) संक्रामक या सांसर्गिक रोगों के बारे में सूचना देना ;

(iv) संक्रामिक या सांसर्गिक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों का पृथक्करण ;

(v) ऐसे होटलों, रेस्तराओं, क्लबों और अन्य स्थानों का, जिनके संक्रामित होने की आशंका है, निरीक्षण और उनका रोगाणुनाशन ;

(vi) स्थानों को दूषित करने और जानवरों को चराने पर प्रतिषेध ;

(vii) आवारा कुत्तों और अन्य खतरनाक जीव–जन्तुओं का नाश ;

(viii) अस्वास्थ्यकर या अपमिश्रित खाद्य या पेय वस्तुओं या औषधों या औषधियों के विक्रय पर प्रतिषेध ;

(ix) टूपों के लिए जल प्रदाय के स्रोतों का संरक्षण ;

(x) कोई अन्य अध्युपाय जो उस क्षेत्र में सर्व साधारण के स्वास्थ्य के संरक्षण के लिए आवश्यक हो।

(2) उपनियम (1) के अधीन आदेश किसी अधिकारी या प्राधिकारी को ऐसे कदम उठाने या उठवाने के लिए भी सशक्त कर सकेगा जो उस आदेश को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक हो।

18. हवाई–हमला आश्रयस्थल –– (1) यदि किसी परिसर के बारे में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उसमें या उस पर निवास करने वाले या नियोजित व्यक्तियों को संरक्षित करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे तो वह सरकार आदेश द्वारा परिसर के स्वामी से उसमें या उस पर ऐसी अवधि के भीतर और अभिन्यास, सामग्री और सन्निर्मित के बारे में ऐसी अपेक्षाओं के अनुसार जो आदेश में निविर्दिष्ट की जाएं, एक हवाई हमला अश्रयस्थल सन्निर्मित करने की अपेक्षा कर सकेगी।

(2) कोई भी पुलिस अधिकारी या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे इस निमित्त यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, किसी भी समय ऐसे किसी परिसर में, जिसको उपनियम (1) के अधीन वाला आदेश लागू होता है, यह देखने के प्रयोजन से प्रवेश कर सकेगा या उसका निरीक्षण कर सकेगा कि क्या आदेश का अनुपालन किया गया है।

(3) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की राय में ऐसा कोई व्यक्ति, जिसको उपनियम (1) के अधीन एक हवाई–हमला आश्रयस्थल सन्निमित करने का आदेश किया गया हो, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहा हो या उसे पूर्ण करना उसके लिए असंभाव्य हो तो वह सरकार आश्रयस्थल को सन्निमित करा सकेगी और उसका खर्च कलक्टर द्वारा उस परिसर के स्वामी से वसूलीय होगा।

19. नागरिक सुरक्षा अभ्यास –– (1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार अधिसूचित आदेश द्वारा सिविल प्रति रक्षा अभ्यासों को ऐसे क्षेत्र में और ऐसी अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं और तदुपरि ऐसे विनिर्दिष्ट क्षेत्र में और अवधि के दौरान :–

(क) नागरिक सुरक्षा अभ्यासों में लगा हुआ कोई व्यक्ति किसी भी भूमि पर से होकर निकल सकेगा, कैम्प बना सकेगा, अस्थायी प्रकृति के संकर्म सन्निर्मित कर सकेगा या युद्धाभ्यास कर सकेगा अथवा किसी भी जल श्रोत से स्वयं जल का प्रदाय ले सकेगा ;

(ख) नागरिक सुरक्षा कोर या ऐसा कोई भी अधिकारी, जिसको निदेशक नागरिक सुरक्षा द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया जाए, नागरिक सुरक्षा अभ्यासों के प्रयोजन के लिए ऐसे रेल मार्ग, या जल मार्ग, सड़क या पथ के किसी भी भाग के या ऐसे किसी भी तार या टेलीफोन सेवा या ऐसे किसी भी परिसर के उपयोग को, जो साधारणतया के लिए खुला हो, प्रतिषिद्ध कर सकेगा, और ऐसे अतिरिक्त अध्युपाय कर सकेगा जो आवश्यक हों।

(2) जहां कि उपनियम (1) के उपबन्धों के अधीन कोई नागरिक सुरक्षा अभ्यास किए जा रहे हों वहां ऐसे अभ्यासों से किसी व्यक्ति सा सम्पति को उद्‌भूत होने वाले नुकसान या अधिकारों या विशेषाधिकारों में हुए हस्तक्षेप के लिए प्रतिकर, जिसके अन्तर्गत व्यक्तियों, सम्पति, अधिकारों या विशेषाधिकारों के संरक्षण में युक्तियुक्त रूप से उपगत व्यय आते हैं, संदत्त किया जाएगा और प्रतिकर का निर्धारण और संदाय तत्समय प्रवृत विधि के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा ;

परन्तु उपनियम (1) के खण्ड (ख) के अधीन दिए गए किसी निदेश या किए गए अतिरिक्त अध्युपायों से उदभूत होने वाले ऐसे हस्तक्षेप के संबंध में कोई भी प्रतिकर संदेय न होगा।

[1][**20. दंड व्यवस्था**—— यदि कोई व्यक्ति इन नियमों अथवा इनके अधीन जारी किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसे तीन वर्ष तक की अवधि के कारावास अथवा जुर्माने अथवा इन दोनों का दंड दिया जा सकेगा।]

1. 1971 के सा0का0नि0 1847 के नियम के द्वारा (08—12—71 से) प्रतिस्थापित